न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0

पीठासीन अधिकारी–श्री शकंरलाल सालवी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या–80 / 2015 प्रा0प0 दिनांक 25–10–2019

उनवान

1. आजाद सफी पिता अली मोहम्मद जी मुसलमान वयस्क निवासी रेवलिया कंला तहसील भदेसर हाल मुकाम कांकरिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ

..............प्रार्थी

।। बनाम ।।

1. श्री सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ

............विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित– 1.श्री प्रवीण जोशी वकील प्रार्थी

:: आदेश ::

हस्तगत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि

1. यह कि प्रार्थी की आराजीयात ग्राम रेवलियाखुर्द पटवार हल्का रेवलियांखुर्द तहसील भदेसर में स्थित है जिसके गत सेटलमेंट के अनुसार आराजी नम्बर 1037 / 11 रकबा 10 बीघा था । प्रमाण में जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस के प्रस्तुत है।
2. यह कि उक्त आराजी का सेटलमेंट हुआ है जिसके अनुसार सेटलमेंट अधिकारियों ने गलती कर प्रार्थी के आराजी नम्बर 1515 रकबा 0.15 हैक्टैयर एवं आराजी नम्बर 1516 रकबा 0.50 हैक्टैयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.65 हैक्टैयर बनाये है जो कि करीब 03 बीघा 02 बिस्वा ही बनता है। इस प्रकार सेटलमेंट अधिकारियों व कर्मचारियों ने बिना

Scanned by CamScanner

किसी आधार के प्रार्थी का रकबा कम कर दिया है जबकि गत सेटमेंट के अनुसार प्रार्थी की आराजीयात का रकबा 10 बीघा था। प्रमाण में जमाबंदी सवंत 2068 से 2071 की प्रमाणित प्रतिलिपी मय नक्शा ट्रेस के संलग्न है।

3. यह कि प्रार्थी द्वारा पुरानी जमाबंदी से मिलान किया तो प्रार्थी को उक्त त्रुटि के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। प्रार्थी वर्षों से उक्त भूमि पर काबिज होकर उपयोग कर रहा है। उक्त भूमि प्रार्थी की है।

4. यह कि उक्त वर्णित भूमि को वर्तमान के मुकाबले गत भू प्रबन्ध के अनुसार उक्त गलती हुई है। जिसे तरमीम करने का का आदेश धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट पारित किया जाना पूर्णतः विधि सम्मत एवं न्यायोचित है। तदर्थ यह प्रार्थना पत्र है।

अतःप्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का साबिक रिकार्ड अनुसार रकबा राजस्व रेकार्ड में दर्ज फरमाया जावे ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी तहसीलदार भदेसर से मौका एवं राजस्व रेकार्ड के आधार पर ज्वाब व कमीशनरी रिपोट तलब की गई । तहसीलदार भदेसर द्वारा पटवारी हल्का रेवलियाखुर्द के पर्चा मौका दिनांक 25.09.2019 के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि ग्राम रेवलियाखुर्द के साबिक आराजी नम्बर 1037/11 रकबा 10 बीघा के हाल आराजी नम्बर 1515, 1516 कुल किता 02 रकबा 0.65 हैक्टेयर बने है । मौके पर वादी काबिज होकर काश्त कर रहा परन्तु वक्त सेटलमेन्ट वादी की खातेदारी भूमि में से 0.65 हैक्टेयर भूमि ही वादी के खाते में दर्ज की गई व 'शेष रकबा बिलानाम दर्ज कर दिया गया जबकि मौके पर वादी आराजी नम्बर 1509 रकबा 0.20 हैक्टेयर , आराजी नम्बर 1517 रकबा 0.04 हैक्टेयर , आराजी नम्बर 1518 रकबा 0.08 हैक्टेयर , आराजी नम्बर 1519 रकबा 0.84 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 1521 रकबा 0.23 हैक्टेयर भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है आराजी नम्बर 1509, 1517 , 1518 , 1519, 1521 राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज है ।

लायक अधिवक्ता प्रार्थी की बहस एक-पक्षीय सुनी गयी । पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं जवाब प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया जिनके आलोक

Scanned by CamScanner

यह प्रमाणित होता है प्रार्थी के साबिक जमाबन्दी रेकार्ड अनुसार आ0न0 1037/11 रकबा 10 बीघा भूमि दर्ज थी जिसका दशमलव प्रणाली से 2.16 हैक्टैयर भूमि बनती है किन्तु भूप्रबन्धीक कार्यवाही प्रार्थी के खातेदारी में आ0न0 1515, 1516 किता–2 कुल रकबा 0.65 हैक्टैयर भूमि ही दर्ज हुई है जिसके मुकाबले 1.51 हैक्टैयर भूमि की बिना किसी कारण के कमी कर दी गई जो प्रार्थी पुनः साबिक कब्जे अनुसार अपने खातेदारी में पुनः दर्ज कराये जाने के अधिकारी है ।

अतः हस्ब रिपोर्ट तहसीलदार भदेसर के आधार पर प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज मौजा रेवलियांखुर्द की साबिक आराजी नम्बर 1037/11 रकबा 10 बीघा भूमि का सेटलमेन्ट से दर्ज हुई वर्तमान आराजी नम्बर 1515, 1516 किता–2 कुल रकबा 0.65 के मुकाबले प्रार्थी के खातेदारी से विलोपित हुए कमी रकबे का समायोजन प्रार्थी के साबिक कब्जे अनुसार एवं मौके पर उपलब्ध रकबे की उपलब्धता के आधार पर बिलानाम आराजी नम्बर 1509 रकबा 0.20 हैक्टेयर ,आराजी नम्बर 1517 रकबा 0.04 हैक्टेयर , आराजी नम्बर 1518 रकबा 0.08 हैक्टेयर , आराजी नम्बर ,1519 रकबा 0.84 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 1521 रकबा 0.23 हैक्टेयर कुल किता–5 कुल रकबा 1.39 हैक्टैयर भूमि से किया जाकर प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा इसी अनुसार शुद्धि से राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है । निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार भदेसर को भिजाई जावे. ।

निर्णय खुले न्यायांलय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(शंकरलाल सालवी)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

Scanned by CamScanner